न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक
(पीठासीन अधिकारीः जगदीश आर्य, आर.ए.एस.)

अपील सं0–– 08 / 2016
प्रविष्टि दिनांक–– 01.09.2016

उनवान

रामकिशोर पुत्र स्व0 रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी वजीराबाद, तहसील व जिला टोंक हाल निवासी मौजा सिन्दरा, तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान।

अपीलार्थी

बनाम

1. रामदयाल पुत्र स्व0 अम्बालाल जाति बैरवा निवासी वजीराबाद, तहसील व जिला टोंक हाल निवासी मौला सिन्दरा, तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान।
2. प्रेमचंद पुत्र स्व0 अम्बालाल जाति बैरवा निवासी वजीराबाद, तहसील व जिला टोंक हाल निवासी मौजा सिन्दरा, तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान।
3. रामसहायक पुत्र स्व0 अम्बालाल जाति बैरवा निवासी वजीराबाद, तहसील व जिला टोंक हाल निवासी मौजा सिन्दरा, तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान।
4. बुद्धिप्रकाश पुत्र स्व0 अम्बालाल जाति बैरवा निवासी वजीराबाद, तहसील व जिला टोंक हाल निवासी मौजा सिन्दरा, तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान।
5. लाड़ा बेवा स्व0 अम्बालाल जाति बैरवा निवासी वजीराबाद, तहसील व जिला टोंक हाल निवासी मौजा सिन्दरा, तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान।
6. रामप्यारी पुत्री स्व0 रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी वजीराबाद, तहसील व जिला टोंक हाल निवासी मौजा सिन्दरा, तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान।

– प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– 1–श्री राजकुमार मीणा–अभिभाषक अपीलार्थीगण
2–श्री देवीप्रकाश तिवाडी, जितेन्द्र टाटावत–अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि. 1956
विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 253 / 2037(248,205) वाके ग्राम पराना

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

दिनांक– 19/03/2019

अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 259 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 261 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 332 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 333 रकबा, 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 342 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 343 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 344 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1826 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 1827 रकबा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 1828 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2337 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 2338 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, कुल किता 15 कुल रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम पराना, पटवार क्षेत्र पराना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हथोना, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, जिसमें 1/2 हिस्से पर रामचन्द्र पुत्र जीवण काबिज काश्त थे अर्थात उपरोक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा रामचन्द्र पुत्र जीवण की खातेदारी एवं कब्जे, काश्त

Scanned by CamScanner

की आराजीयात थी एवं खसरा नम्बर 279 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम पराना, पटवार क्षेत्र पराना , भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हथोना, तहसील टोंक जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, जो रामचन्द्र पुत्र जीवण की खातेदारी एवं कब्जे, काश्त की आराजीयात थी। उपरोक्त आराजीयात पर रामचन्द्र पुत्र जीवण काबिज, काश्त चले आ रहे थे एवं उनकी मृत्यु के बाद रामचन्द्र जी के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उत्तराधिकारी काबिज, काश्त चले आ रहे है। रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 15.07.1977 को हो चुकी है। रामचन्द्र जी मृत्यु के बाद रामचन्द्र पुत्र जीवण का शजरा निम्न प्रकार है :–

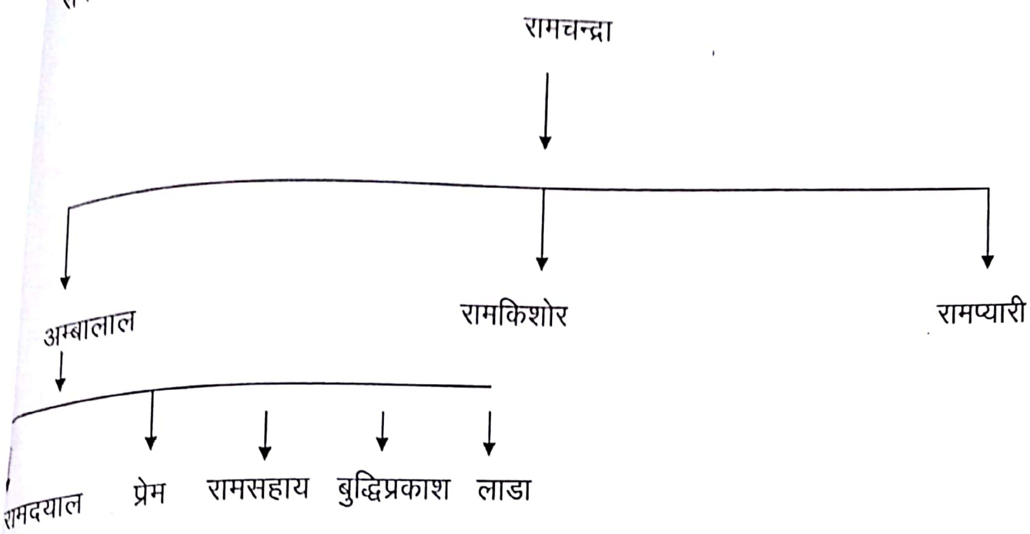

अर्थात रामचन्द्रजी की मृत्यु के बाद अपीलांट रेस्पोडेनट सं. 6 व स्व. अम्बालाल रामचन्द्र के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उत्तराधिकारी थे। अपीलांट व अम्बालाल स्व रामचन्द्र के पुत्र थे तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 स्व रामचन्द्र जी की पुत्री थी। रामचन्द्र की मृत्यु के बाद अपीलांट का रामचन्द्र की उपरोक्त आराजीयात में जो हिस्सा, था, उसमें से अपीलांट का 1/3 हिस्स था, ओर ासी अनुरूप अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। किनतु रेस्पोडेन्ट सं 1 ता 5 के पिता व पति स्व. अम्बालाल नें राजस्व कर्मचारी व पंचायत के अधिकारियों से साज कर स्वंय को एक मात्र रामचन्द्र का पुत्र बताते हुए स्वंय के हक में नामांतकरण तस्दीक करा लिया। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पराना तहसील टोंक द्वारा भेरे गये नामांतकरण आदेश संख्या–253/2037 (248,205) को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 4 की ओर से श्री जितेनद्र टाटावत एंव शेष की ओर से श्री देवीप्रकाश तिवाडी एडवोकेट ने वकानलताना पेश किया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नामान्तरकरण सं0 253/2037(248,205) ग्राम पराना,मिलान क्षैत्रफल संवत 2028–2047, मृत्युप्रमाण–पत्र अम्बालाल,आधारकार्ड,राशनकार्ड एंव जमाबन्दी आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

इसके पश्चात प्रकरण मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने बहस के दौरान वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को ही अपनी लिखित बहस माने जाने हेतु निवेदन किया काफी अवसरों के बाद भी वकील प्रतिपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए है ओर ना ही अपने पक्ष में कोई सबूत दस्तावेजात पेश किये है।

हमने अपील एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया। अपील नामा० सं० 253/2037(248,205) मे अंकितानुसार मृतक छोटू पुत्र बिरदा एंव रामचन्द्र पुत्र जीवण के फोती के नामांतकरण भरते समय उनके सही वारिसों की जांच किये बिना ही नामांतकरण भर कर पंचायत के समक्ष पेश कर दिया ओर पंचायत द्वारा भी उसकी विधिवत रूप से जांच किये बिना ही नामांतकरण का निर्णय कर दिया। इस प्रकार पंचायत ने मृतकों के वारिसान को सुनवायी का उचित अवसर दिये बिना ही नामांतकरण तस्दीक कर गम्भीर भूल की है। ग्राम पंचायत का उक्त निर्णय अपीलांट के हितो के विपरीत विधि सम्मत नही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के विपरीत है। इस कारण निरस्तनीय है। अतः यह न्यायालय न्याय हित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

अतः अपील, अपीलार्थीगण बाबत विरूद्ध नामान्तरकरण सं० 253/2037(248,205) ग्राम पराना, ग्राम पंचायत पराना, तहसील टोंक स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत पराना के उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर, तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि अपील में अंकित सजरे के अनुसार मृतक छोटू पुत्र बिरदा एंव रामचन्द्र पुत्र जीवण के वारिसों की पुनः जांच करें एंव अपीलांट को सुनवायी का उचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार नामा० दर्ज किया जाकर, राजस्व रिकार्ड मे अंकन की कार्यवाही कर, पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 19/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक